भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2082
बुधवार, 11 मार्च, 2026/20 फाल्गुन, 1947, (शक) को उत्तरार्थ

आरसीएस के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

2082 श्री एस. सेल्वागनबेथीः
डा. सुमेर सिंह सोलंकी:
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
डा. कविता पाटीदारः
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री नरहरी अमीनः
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री मिलिंद मुरली देवराः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने सभी राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी (आरसीएस) के कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया है;
(ख) यदि हाँ, तो जनवरी 2026 तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियो सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने कंप्यूटरीकरण पहल में विलंब या कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की सूचना दी है;
(घ) यदि हाँ, तो मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी कारण क्या हैं;
(ङ) क्या कंप्यूटरीकरण पहल के परिणामस्वरूप आरसीएस कार्यालयों के कामकाज में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं; और
(च) यदि हाँ, तो सहकारी समितियो के पंजीकरण, अनुमोदन और विनियामक अनुपालन में लगने वाले समय में कमी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय
(श्री अमित शाह)

(क) नहीं, महोदय। यह परियोजना 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रगति पर है तथा 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण हो चुकी है। केरल राज्य ने इस परियोजना में रुचि नहीं दिखाई है।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार के हिस्से के रूप में कुल ₹82.85 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसमें से अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल ₹29.02 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। इस परियोजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगभग ₹18 करोड़ की राशि का उपयोग रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (RCS) के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर विकास तथा अन्य कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं जैसी गतिविधियों पर किया गया है।

(ग) एवं (घ) हाँ, कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (RCS) के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत कंप्यूटरीकरण पहल के क्रियान्वयन में देरी अथवा चुनौतियों की सूचना दी है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

(i) कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में समय की कमी, क्योंकि क्रियान्वयन के लिए सीमित अवधि उपलब्ध थी तथा कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने SNA खातों का पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के साथ मैपिंग नहीं किया था।

(ii) निधियों के वितरण के लिए PFMS में नए CSNA मॉडल की शुरुआत तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रणाली में चाइल्ड एजेंसियों के रूप में मैप करने में विलंब।

(iii) कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी की गई राशि के उपयोग में देरी, जिसका कारण परियोजनाओं के लिए लंबित प्रशासनिक स्वीकृतियाँ, सॉफ्टवेयर विकास हेतु विक्रेताओं का अंतिम चयन न होना, हार्डवेयर की खरीद में देरी तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मिलान अनुदान (matching grant) जारी करने में देरी है, जिसके परिणामस्वरूप अगली किश्तों की राशि जारी नहीं हो सकी।

(iv) इसके अतिरिक्त प्रक्रियागत परिवर्तनों जैसे SNA SPARSH मॉडल तथा ट्रेज़री सिंगल अकाउंट (TSA) मॉडल की शुरुआत, जिसके अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के RBI खाते दिल्ली स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षेत्रीय शाखा में खोले जाने आवश्यक हैं, जिसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में पर्याप्त समय लगा।

मंत्रालय की पहलों के सुचारु एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जा रहा है। सचिव (सहकारिता) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें मंत्रालय की पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों के सहकारिता विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें भौतिक रूप से आयोजित की जाती हैं। हाल ही में 17 फरवरी 2026 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 'मंथन बैठक' आयोजित की गई, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय सहकारिता मंत्रियों ने भाग लिया।

(ङ) एवं (च) अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन वर्तमान में प्रगति पर है। कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने हाल ही में इस परियोजना को पूर्ण किया है, अतः RCS कार्यालयों के कार्यप्रणाली में मापनीय सुधारों का आकलन करना अभी समयपूर्व होगा।
